न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 12/2025
दायर दिनांकः 03.06.2025
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

श्री नारायण लाल पिता श्री लालु राम जी गुर्जर आयु 58 वर्ष निवासी नया घर, भामरों का वाडीया, साकरडा, ग्राम पंचायत साकरडा तहसील आमेंट जिला राजसमन्द

— निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत साकरडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत साकरडा तहसील आमेंट जिला राजसमन्द।
2. श्री मांगीलाल पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी नया घर, भामरों का वाडीया, साकरडा ग्राम पंचायत साकरडा तहसील आमेंट जिला राजसमन्द।

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री लक्ष्मण गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री रितेश टुकलिया अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 उपस्थित।
3— विपक्षी संख्या 02 अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साकरडा पंचायत समिति आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द में निगराकार के हक आधिपत्यशुदा एक पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड स्थित है जिसके एक भाग में निगराकार द्वारा एक कच्चा मकान बना रखा है उक्त भूखण्ड मय मकान उक्त बाडा मय मकान 54 फिट (18 गज) चौडा व 84 फिट (28 गज) लम्बा होकर उक्त बडा मय मकान का कुल क्षेत्रफल 4536 वर्गफिट होकर जिसके वर्तमान पडौस पुर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं का बाडा, उत्तर में मांगीलाल का मकान तथा दक्षिण में नारायण लाल पिता पोखर जी गुर्जर का मकान होकर उक्त बाड़े मय मकान की भूमि का विक्रय ग्राम पंचायत द्वारा जरिये संकल्प

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 6 दिनांक 30.12.1973 के उक्त श्री नारालाल के पिता श्री लालु पिता चतरभुज जी गुर्जर को किया गया था जिसका एक आबादी भूमि का बैनामा भी दिनांक 30.12.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्री लालु पिता चतरभुज के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड के तत्कालिन पडौस पुर्व में आम रास्ता, पश्चिम में लालु जी का बडा, उत्तर में नाथुलाल का मकान व दक्षिण में तत्कालिन आराजी नम्बर नम्बर 351 स्थित रहा है। निगराकारगण के पिता उक्त श्री लालु पिता चतरभुज जी गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 14.07.2018 को हो चुका है। उक्त बाडा मय मकान निगराकार को विरासत से अपने पिता उक्त श्री लालु जी गुर्जर से प्राप्त हुआ है तब से ही निगराकार उक्त बाडा मय मकान पर लगातार बिना किसी बाधा रूकावट के काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीली भगत कर निगराकारगण के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड को शामिल करते हुए एक फर्जी पट्टा धोखाधडी पुर्वक प्रार्थी निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उनका भूखण्ड हड़पने की नियत से बना लिया तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा विपक्षी संख्या एक द्वारा पूर्व में निगराकार के पिता के नाम पर विपक्षी संख्या एक द्वारा जारी आबादी भूमि का बैनामा को नजर अन्दाज कर उसी भूमि को शामिल करते हुए दुसरा पट्टा विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 06.02.2024 को जारी कर दिया गया जिसके पट्टा संख्या 20 होकर उक्त पट्टे को दिनांक 23.02.2024 को उप पंजियक आमेट के यहां पंजीयन कराया गया जिसे उप पजियक आमेट के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 96 में पृष्ठ संख्या 125 क्रम संख्या 202403147100155 पर पंजिबद्ध किया गया। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत साकरडा द्वारा विपक्षी संख्या 2 मांगीलाल गुर्जर को उक्त पट्टा जारी करने से दुखी व पिडीत होकर उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है। वादग्रस्त बाडे मय मकान की भूमि का विकय ग्राम पंचायत द्वारा जरिये संकल्प संख्या 6 दिनांक 30.12.1973 के उक्त श्री नारालाल के पिता श्री लालु पिता चतरभुज जी गुर्जर को किया गया था। जिसका एक आबादी भूमि का बैनामा भी दिनांक 30.12.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्री लालु पिता चतरभुज के पक्ष में जारी किया गया है। उसी भूखण्ड के 30 फीट चौडे भाग को शामिल करते हुए विपक्षी संख्या एक द्वारा पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम अवैध रूप से जारी कर उसे भी उप पंजियक आमेट के यहां पंजीबद्ध करवा दिया है विपक्षी संख्या एक द्वारा जिस भुखण्ड को वर्ष 1973 में निगराकार के पिता श्री लालु ती गुर्जर को विक्रय कर दिया गया था उसी भूखण्ड के 30 फिट चौडे भाग को शामिल करते हुए पुनः विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या 2 का पचास वर्षों के दौरान का कब्जा मान कर पट्टा जारी किया गया है जो किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। निगराकार के पिता को जो विपक्षी संख्या एक द्वारा भूमि का विक्रय जरिये संकल्प संख्या 6 दिनांक 30.12.1973 के उक्त श्री लालु पिता चतरभुज जी गुर्जर को किया गया था जिसका एक आबादी भूमि का बैनामा भी दिनांक 30.12.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्री लालु पिता चतरभुज के पक्ष में जारी किया गया है उक्त बैनामें में उत्तर दिशा की ओर का पडौस श्री नाथुलाल गुर्जर का मकान होना बताया है जो कि विपक्षी संख्या 2 के दादा जी होकर उक्त नाथुलाल जी का मकान कुल 30 फीट चौडा रहा है। उक्त श्री नाथुलाल जी गुर्जर के एक पुत्र गोपीलाल गुर्जर है जिनके दौ पुत्र है जिनमें एक पुत्र विपक्षी संख्या 2 है व दुसरा पुत्र सुआलाल गुर्जर है विपक्षी संख्या एक द्वारा उक्त दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

06.2.2024 को ही एक पट्टा उक्त विपक्षी संख्या दौ मांगीलाल के भाई सुआलाल को भी जारी किया गया है जो भी ग्राम पंचायत द्वारा जरिये संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.12.2023 के ही जारी किया गया है उक्त पट्टे में पट्टेशुदा सुआलाल के मकान की 1.2 हिस्से की चौडाई 15 फिट अंकित की गई है तथा दोनो पट्टो में एक ही मकान के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है ऐसी स्थिती में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त विवादित पट्टे में वर्णित मकान की 1.2 हिस्से की चौडाई 45 फीट होना सम्भव ही नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत साकरडा द्वारा दिनांक 07.04.2022 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा जिसे दिनांक 06.02.2024 को जारी पट्टा संख्या 20 जिसे दिनांक 23.02.2024 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। तथा अप्रार्थी संख्या 02 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 10.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साकरड़ा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम साकरडा पंचायत समिति आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द में निगराकार के हक आधिपत्यशुदा एक पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड स्थित है जिसके एक भाग में निगराकार द्वारा एक कच्चा मकान बना रखा है उक्त भूखण्ड मय मकान उक्त बाडा मय मकान 54 फिट (18 गज) चौडा व 84 फिट (28 गज) लम्बा होकर उक्त बडा मय मकान का कुल क्षेत्रफल 4536 वर्गफिट होकर जिसके वर्तमान पडौस पुर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं का बाडा, उत्तर में मांगीलाल का मकान तथा दक्षिण में नारायण लाल पिता पोखर जी गुर्जर का मकान होकर उक्त बाड़े मय मकान की भूमि का विक्रय ग्राम पंचायत द्वारा जरिये संकल्प संख्या 6 दिनांक 30.12.1973 के उक्त श्री नारालाल के पिता श्री लालु पिता चतरभुज जी गुर्जर को किया गया था जिसका एक आबादी भूमि का बैनामा भी दिनांक 30.12.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्री लालु पिता चतरभुज के पक्ष में जारी किया गया है। निगराकारगण के पिता उक्त श्री लालु पिता चतरभुज जी गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 14.07.2018 को हो चुका है। उक्त बाडा मय मकान निगराकार को विरासत से अपने पिता उक्त श्री लालु जी गुर्जर से प्राप्त हुआ है तब से ही निगराकार उक्त बाडा मय मकान पर लगातार बिना किसी बाधा रूकावट के काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीली भगत कर निगराकारगण के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड को शामिल करते हुए एक फर्जी पट्टा धोखाधडी पुर्वक प्रार्थी निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उनका भूखण्ड हड़पने की नियत से बना लिया तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा विपक्षी संख्या एक द्वारा पूर्व में निगराकार के पिता के नाम पर विपक्षी संख्या एक द्वारा जारी आबादी भूमि का बैनामा को नजर अन्दाज कर उसी भूमि को शामिल करते हुए दुसरा पट्टा विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 06.02.2024

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को जारी कर दिया गया जिसके पट्टा संख्या 20 होकर उक्त पट्टे को दिनांक 23.02.2024 को उप पंजियक आमेट के यहां पंजीयन कराया गया जिसे उप पंजियक आमेट के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 96 में पृष्ठ संख्या 125 क्रम संख्या 202403147100155 पर पंजिबद्ध किया गया। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत साकरडा द्वारा विपक्षी संख्या 2 मांगीलाल गुर्जर को उक्त पट्टा जारी किया गया है कि विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 06.02.2024 को जारी पट्टा व इसे जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 07 दिनांक 05.12.2023 अवैध विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। उक्त पट्टे में पट्टेशुदा सुआलाल के मकान की 1.2 हिस्से की चौडाई 15 फिट अंकित की गई है तथा दोनो पट्टो में एक ही मकान के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है ऐसी स्थिती में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त विवादित पट्टे में वर्णित मकान की 1.2 हिस्से की चौडाई 45 फीट होना सम्भव ही नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत साकरडा द्वारा दिनांक 07.04.2022 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा जिसे दिनांक दिनांक 06.02.2024 को जारी पट्टा संख्या 20 जिसे दिनांक 23.02.2024 को उप पंजियक आमेट के यहां पंजियन कराया गया उसको निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा किए गए कथनों की पुष्टि करते हुए यह कथन किया कि एक ही भूमि के दो पट्टे सहवन से जारी हो गये है। अतः दुसरा पट्टा जो कि अप्रार्थी संख्या 2 जो कि श्री मांगीलाल को पट्टा संख्या 21 दिनांक 06.02.2024 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जो पट्टा जारी किया गया है उसे खारिज कर दिया जाए।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साकरड़ा की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय निगरानी अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साकरड़ा पंचायत समिति आमेट द्वारा जारी आवासीय भूखण्ड के पट्टे को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है इसके अनुसार पट्टा संख्या 20 दिनांक 23.02.2024 को उपपंजीयक आमेट के यहां पर पंजीयन करवाया गया है जो कि ग्राम पंचायत साकरड़ा द्वारा दिनांक 06.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है वो निरस्त योग्य है क्योंकि इस भूमि का पट्टा पूर्व में ही निगरानीकर्ता श्री नारायणलाल के पिता लालु राम गुर्जर को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.12.1973 को ही जारी कर दिया गया था तथा जिसका पंजीयन भी 30.12.1973 को करा लिया गया था और अब उसी पट्टे की भूमि को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत साकरड़ा द्वारा एक पट्टा अनियमित रूप से अप्रार्थी संख्या 2 श्री मांगीलाल पिता गोपीलाल गुर्जर के पक्ष में दिनांक 06.02.2024 को पुनः जारी कर दिया गया है। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत साकरड़ा के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलान्ट द्वारा किए गए कथनों की पुष्टि करते हुए यह कहा कि यह तथ्यात्मक है कि एक ही भूमि के दो पट्टे सहवन से जारी हो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गये है अतः दुसरा पट्टा जो कि अप्रार्थी संख्या 2 जो कि श्री मांगीलाल को जारी किया गया है उसे खारिज कर दिया जाए।

हमने अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साकरड़ा की पत्रावली का अध्ययन किया। इस पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर हुआ है कि यह पत्रावली एक ही दिन में तैयार की गयी है। सभी प्रपत्र भरने की मात्र औपचारिकता की गयी है। क्योंकि इसमें आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की दिनांक अंकित नहीं है, सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। पटवारी की कोई रिपोर्ट नहीं है। केवल फोर्मेट में खानापूर्ति की गयी है। आवेदन पत्र के साथ जो मांगीलाल का शपथ पत्र संलग्न है। उसमें भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। तथा जो गवाहो के बयान है उस पर भी दिनांक का अंकन नहीं है। पत्रावली में जो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है उसमें भी कोई दिनांक नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन फलस्वरूप न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि सभी दस्तावेजों का जल्दबाजी में एक ही दिन संधारण किया जाकर उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत साकरड़ा द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए अनियमित रूप से जारी किया जाना पाया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा भी एक ही भूमि के दो पट्टे सहवन से जारी होने की बात कबुलने और उसे खारिज करने का निवेदन किये जाने से ग्राम पंचायत साकरड़ा द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत साकरड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 06.02.2024 को निरस्त किया जाता है तथा निर्णय की प्रति मय मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत साकरड़ा को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)